

अवर सचिव  
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय  
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT  
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011  
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/१६/2016-17

22 नवंबर, 2016

श्रीयुक्त कुलसचिव  
सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय,  
कानपुर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु  
महोदय,

श्री अवधेश प्रताप सिंह पुत्र स्व. राघवेन्द्र प्रताप सिंह कमरा सं. 08, लाला हरदत्त राय छात्रावास  
बी.एस.एस.डी. कालेज नवाबगंज कानपुर, उत्तर प्रदेश का दिनांक 12.11.2016 का ई-मेल पत्र व सूचना  
का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत भेजा गया आवेदन दिनांक 17.11.2016 को इस सचिवालय में  
प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने दस का पो.आ. सं. 34F 234163 संलग्न कर एल.एल.बी. तृतीय  
सेमेस्टर, शैक्षिक सत्र 2015-16के परीक्षा परिणाम में की गई अनियमितता के विषय में शिकायत की है।  
चूंकि पत्र की विषय-वस्तु आपके कालेज से संबंधित है अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार  
अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया इनके आवेदन  
पर की गई कार्रवाई की सूचना अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करते हुए आवेदक को प्रदान करने का कष्ट  
करें।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
hurbi.shakeel@nic.in

देवा में,



श्रीमान जनसूचनाधिकारी महोदय  
माननीय उपराष्ट्रपीठ जी कार्यालय

भारत  
नई दिल्ली

विषय :- प्रार्थना पत्र अनर्गल सूचना का अधिकार अधिनियम  
2005 धारा (6)

महोदय,

प्रार्थी अवधेश प्रताप सिंह पुत्र स्व० राघवेंद्र प्रताप सिंह  
सी० एच० जे० एम० विश्वविद्यालय, कानपुर उ० प्र० अनर्गल  
वी० एच० एच० जी० कालेज नवाबगंज, कानपुर का एल एल० बी०  
तृतीय सेमेस्टर, शैक्षिक वर्ष- 2015-2016 का विद्यार्थी है।

श्रीमान जी प्रार्थी ने माननीय उपराष्ट्रपीठ

जी की मेल 14 - vpin@upindia.mca.gov पर दिनांक - 12-11-2016

समय - 6:53 बजे पर एक मेल पर इंसाफ दिलवाने की प्रार्थना  
किया। प्रार्थी को अपनी मेल पर कुछ सूचना की आवश्यकता है।  
अतः आप से निवेदन है कि प्रार्थी को निम्नलिखित सूचनाएं  
उपलब्ध कराएं :-

- i. प्रार्थी की मेल में लिखे प्रकरण पर प्रार्थी को इंसाफ दिलवाने  
के लिए क्या कार्रवाई किया गया?
- ii - प्रार्थी का प्रकरण किस प्राधिकारी के पास क्यों  
भरिबद्ध है?
- iii - प्रार्थी को इंसाफ कब तक दिला दिया जाएगा?
- iv - आप द्वारा सूचना के अधिकार के अनर्गल प्रस्तुत  
प्रार्थनापत्र पर किसे दिनों में कार्रवाई की जाती है?

संलग्न :-

- i - शुल्क के लिए 10 रुपये  
का FPO जिसका नं०  
है - 34 F 234163
- ii - नोट कापी मेल  
दिनांक - 12-11-2016

Aavdesh Pratap Singh

प्रार्थी

अवधेश प्रताप सिंह  
पुत्र स्व० राघवेंद्र प्रताप सिंह  
कमरा सं० - 08

भाला इस्टेट राघु हावाकस  
वी० एच० एच० जी० कालेज  
नवाबगंज, कानपुर  
पिनकोड - 208002  
दिनांक - 12-11-2016  
मो० नं० - 8738971351